कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
काम्पलेक्स (बी) ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल–23

निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने की योजना
वर्ष 2021–22 हेतु विज्ञापन

क्रमांक/तक./निजी क.हा.के./2021–22/1093 (संक्षिप्त) भोपाल, दिनांक 15.07.21

निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2021–22)

कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाऐं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ''ऑन–लाईन'' आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। ये कस्टम हायरिंग केन्द्र प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाना हैं। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों से संबंधित कृषि मशीनों के क्रय की लागत पर आवेदकों (सामान्य,अ.जा. एवं अ.ज.जा.) को 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक का ''क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड (Credit Linked Back Ended)'' अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना (Annexure-IIC) में प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधानअनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी, इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड(ए.आई.एफ) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगें। प्रत्येक जिले में **कुल–8** कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। अतः **कुल 416** कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामान्य के **कुल–312**, अनुसूचित जन जाति के **कुल–52** तथा अनुसूचित जाति के **कुल–52** के लक्ष्य) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। जिले अनुसार लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगें। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2021–22 हेतु ही वैध रहेंगें। प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जानी होगी। सामान्य वर्ग के आवेदकों को राशि रू. 10000/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला आवेदकों को राशि रू. 5000/– का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना होगा। ऑनलाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

1.	आवेदन करने की अवधि	–	दिनांक 19 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगें।
2.	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	–	दिनांक 31 जुलाई 2021 से 4 अगस्त 2021 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक (संलग्न सूची अनुसार जिलेवार किया जाएगा–परिशिष्ट–3)
3.	जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का लॉटरी पद्धति से निर्धारण	–	दिनांक 6 अगस्त 2021 को दोपहर 12.00 बजे से जिलों से संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 7 अगस्त 2021 से देखी जा सकेंगी।)

योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापना के उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी। प्रत्येक जिले हेतु हितग्राहियों का चयन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। एक व्यक्ति केवल एक जिले/ग्राम हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। **एक से अधिक जिलों/ग्रामों हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।** ऑनलाईन आवेदन उपरांत आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन उनके आवेदित जिले से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में दिनांक 31 जुलाई से 4 अगस्त 2021 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक (संलग्न जिलेवार सूची अनुसार किया जाएगा) किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन में उपयुक्त पाये गये आवेदकों की श्रेणीवार तथा कृषि संकाय स्नातक अनुसार लॉटरी दिनांक 6 अगस्त 2021 को दोपहर 12.00 बजे से संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में प्रारंभ की जायेगी। विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाईट (www.chc.mpdage.org) पर देखा जा सकता है।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
काम्पलेक्स (बी) ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल–23

क्रमांक/तक./निजी क.हा.के./2021–22/1093 (विस्तृत) भोपाल, दिनांक 15.07.21

निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2021–22)

कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाऐं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ''ऑन–लाईन'' आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन की प्रकिया –

1. प्रत्येक जिले में **कुल–8** कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। अतः **कुल 416** कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामान्य के **कुल–312**, अनुसूचित जन जाति के **कुल–52** तथा अनुसूचित जाति के **कुल–52** के लक्ष्य) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात् **वर्ष 2021–22** हेतु ही वैध रहेंगें। प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जानी होगी। सामान्य वर्ग के आवेदकों को राशि रू. 10000/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला आवेदकों को राशि रू. 5000/– का बैंक ड्राफ्ट नीचे बिन्दु कमांक 2 में दी गई सूची में उल्लेखित सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाया जाना होगा। ऑनलाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

1.	आवेदन करने की अवधि	–	दिनांक 19 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगें।
2.	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	–	दिनांक 31 जुलाई 2021 से 04 अगस्त 2021 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक (संलग्न सूची अनुसार जिलेवार किया जाएगा–परिशिष्ट–3)
3.	जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का लॉटरी पद्धति से निर्धारण	–	दिनांक 6 अगस्त 2021 को दोपहर 12.00 बजे से जिलों से संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 7 अगस्त 2021 से देखी जा सकेंगी।)

2. जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों के विवरण निम्नानुसार हैः–

क.	आवेदन का जिला	अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है।	संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष कंमाक
1	भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले।	''सहायक कृषि यंत्री, भोपाल''	संभागीय कृषि यंत्री, नई जेल रोड, ग्राम–बड़वई भोपाल, दूरभाष – 0755–2736200

2	इन्दौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले।	"सहायक कृषि यंत्री, इन्दौर"	संभागीय कृषि यंत्री, 303 सेटेलाईट बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट भवन, इन्दौर दूरभाष – 0731–2368440
3	रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिले।	"सहायक कृषि यंत्री, सतना"	संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाईन, पन्ना रोड़ सतना, दूरभाष – 07672–222223
4	जबलपुर संभाग के सभी जिले।	"सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर"	संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर, दूरभाष –0761–2680928
5	सागर संभाग के सभी जिले।	"सहायक कृषि यंत्री, सागर"	संभागीय कार्यपालन यंत्री, वृंदावन बाग ट्रस्ट, गोपालगंज, सागर, दूरभाष – 07582–241554
6	ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के सभी जिले।	"सहायक कृषि यंत्री, ग्वालियर"	संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड़, ग्वालियर, दूरभाष – 0751–2364595

3. योजनांतर्गत एक ग्राम तथा एक परिवार में केवल एक ही कस्टम हायरिंग केन्द्र दिये जाने का प्रावधान है अतः जिन ग्रामों में पूर्व में केन्द्र स्थापित हो चुके है वहां के लिये आवेदन प्रस्तुत न किये जाये। ग्रामों के संबंध में अंतिम निर्णय संबधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के समय लिया जायेगा।

4. अभिलेखों का सत्यापन आवेदक द्वारा आवेदित जिले से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय में दिनांक 31 जुलाई 2021 से 04 अगस्त 2021 तक कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10:30 बजे से शाम 5.30 बजे तक किया जायेगा। सत्यापन के दौरान आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये मूल बैंक ड्राफ्ट को कार्यालय में जमा कराया जाना होगा। इसके साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये मूल अभिलेख जैसे फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची, जाति प्रमाण–पत्र (केवल अनु.जाति एवं ज.जाति के आवेदकों हेतु), निवास प्रमाण–पत्र (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड) अथवा ऋण पुस्तिका, 12वीं उत्तीर्ण अंकसूची सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने होंगें। कृषि, कृषि अभियांत्रिकी तथा उद्यानिकी के स्नातक आवेदकों को स्नातक की अंकसूची भी प्रस्तुत की जाना होगी। अभिलेख अथवा मूल बैंक ड्रॉफ्ट जमा न कराये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जाकर उन आवेदकों को प्राथमिकता सूची के निर्धारण की लाटरी प्रकिया से पृथक कर दिया जायेगा।

5. योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में रूचि नहीं लेता है अथवा केन्द्र स्थापित कराने में असफल होता है, तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी।

6. जिले हेतु उपयुक्त पाये गये ऑनलाईन आवेदनों की प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण संबंधित संभाग के कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपरोक्तानुसार निर्धारित दिनांक/दिनांकों को किया जायेगा। सूचियो में प्राथमिकता का निर्धारण लॉटरी के आधार पर किया जायेगा। लॉटरी निकालने का कार्य सबके समक्ष किया जावेगा अतः यदि कोई आवेदक उस प्रकिया के दौरान उपस्थित रहना चाहे तो उक्त दिनांक को कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपस्थित रह सकता है। इस प्रकार निर्धारित प्राथमिकता सूचियों अनुसार ही आवेदकों को जिले के लक्ष्य अनुसार केन्द्र स्थापित करने के विचार क्षेत्र में लिया जायेगा।

7. प्रत्येक जिले हेतु प्राप्त श्रेणीवार (कृषि संकाय स्नातक, सामान्य, अनु.जाति तथा अनु.जनजाति) उपयुक्त आवेदनों से श्रेणीवार प्राथमिकता सूचियॉ तैयार की जायेगी। योजना के प्रावधान अनुसार मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि, उद्यानिकी तथा कृषि अभियांत्रिकी के स्नातकों को केन्द्र स्थापना हेतु जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों के 30 प्रतिशत अधिकतम **02** केन्द्र तक ही प्राथमिकता दी जायेगी। लाभ हेतु चयनित कृषि संकाय स्नातको की संख्या अनुसार सामान्य, अनु.जाति तथा अनु. जनजाति के लक्ष्य कम किये जावेगे।

8. संभाग में लॉटरी से चयनित आवेदकों हेतु दिनांक 9 अगस्त 2021 को कृषि यंत्री /कार्यपालन यंत्री के संभागीय मुख्यालय पर प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधी एक दिवसीय मार्गदर्शी शिविर का आयोजन किया जायेगा।

9. लॉटरी से चयनित आवेदकों को सी.ए. के माध्यम से बनाए गए अपने प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में मार्गदर्शी शिविर के आगामी **10 दिवस** में प्रस्तुत किये जाने होंगे। जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्टों को परीक्षण उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर भारत सरकार के एग्रीकल्चर इफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत अपने मार्गदर्शन में आवेदकों से आवेदन कराया जायेगा। एग्रीकल्चर इफ्रास्ट्रक्चर फंड योजनान्तर्गत हितग्राही को 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान तथा भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट की कोलेटरल गारंटी दी जाती है। यह दोनों सहायता कस्टम हायरिंग योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले 40 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त होती है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित बैंक अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी। यदि भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसे आवेदकों को केवल कस्टम हायरिंग का 40 प्रतिशत का अनुदान ही प्राप्त होगा। ऐसे आवेदकों के प्रकरण कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा सीधे संबंधित बैंक को अग्रेषित किये जायेंगे। आवेदकों को बैंकों से ऋण स्वीकृति एवं मार्जिन मनी जमा होने की सूचना कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट भेजने/भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि के एक माह के अन्दर कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रकरण की स्वीकृति की सूचना बैंक से प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण निरस्त किया जा सकेगा। बैंक में मार्जिन मनी जमा होने के उपरान्त हितग्राही को शासकीय व्यय पर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। प्रशिक्षण में एक बार चयन होने के उपरान्त आवेदक को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में उपस्थित होना होगा, उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिये पृथक से कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी। प्रशिक्षण उपरान्त आवेदकों द्वारा केन्द्र की स्थापना किये जाने पर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही संपादित की जायेगी तथा सत्यापन में उपयुक्त पाये गये प्रकरणों में बैंक को **"क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy)**[1]" के रूप में शासन अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

---

1 *(क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड सबसिडी से तात्पर्य यह है कि शासन द्वारा अनुदान बैंक को दिया जायेगा। अनुदान का समायोजन हितग्राही द्वारा बैंक के ऋण को पूर्ण रूप से चुकाने के बाद हितग्राही के खाते में किया जावेगा। इस अनुदान राशि एवं मार्जिन मनी को कुल प्रोजेक्ट राशि से घटाने के उपरांत बची शेष राशि पर ही बैंक द्वारा ब्याज लिया जायेगा। हितग्राही द्वारा बैंक ऋण वापस न करने की स्थिति में (डिफाल्टर घोषित होने पर) अनुदान राशि उसे नहीं दी जायेगी तथा इस राशि को भी ऋण मानते हुये बैंकों द्वारा पूरी राशि की वसूली हितग्राही से की जायेगी।)*

पात्रता एवं शर्ते :–

1. योजनांतर्गत हितग्राही को स्वयं के गांव में कृषि कार्यों हेतु कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाना है। कस्टम हायरिंग केन्द्र के माध्यम से हितग्राही द्वारा कृषकों को कृषि कार्यों हेतु किराये पर मशीनें एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें दी जाना होगी।
2. प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों से संबंधित कृषि मशीनों के कय की लागत पर **आवेदकों (सामान्य, अ.जा. एवं अ.ज.जा.) को 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक** का ''क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड (Credit Linked Back Ended)'' अनुदान दिया जायेगा। **अनुदान की गणना** सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना (Annexure-IIC) में प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधानअनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी।
3. प्रत्येक जिले में परिशिष्ट–1 में दर्शायी सूची अनुसार कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। अतः **कुल 416** कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामान्य के **कुल–312**, अनुसूचित जन जाति के **कुल–52** तथा अनुसूचित जाति के **कुल–52** के लक्ष्यहेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगे।
4. कस्टम हायरिंग केन्द्र न्यूनतम रू. 10 लाख तथा अधिकतम रू. 25 लाख तक की लागत का स्थापित किया जा सकेगा।
5. बैंक ऋण के आधार पर केन्द्र स्थापित किया जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
6. अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जायेगा जो हितग्राही द्वारा बैंक–ऋण की पूर्ण अदायगी किये जाने के उपरान्त हितग्राही के खाते में समायोजित होगा।
7. योजनांतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों की उम्र दिनांक 1 अप्रेल 2021 को 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
8. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
9. पूर्व से ही शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत् अथवा अन्य शासकीय योजना (भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ''एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड'' (ए.आई.एफ.) योजना को छोड़कर) से रोजगार हेतु लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगें। जानकारी गलत पाये जाने पर संबंधित का प्रकरण निरस्त योग्य होगा।
10. भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ''एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड'' (ए.आई.एफ.) योजना को इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। ए.आई.एफ. योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट को 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान तथा कोलेटेरल हेतु सीजीटीएमएसई अंतर्गत भारत सरकार की गांरटी प्राप्त होती है। यह लाभ कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना हेतु प्राप्त 40 प्रतिशत तक के अनुदान के अतिरिक्त होता है। कस्टम हायरिंग केन्द्र की योजनान्तर्गत प्राथमिकता सूची में आये आवेदकों को ए.आई.एफ. योजनान्तर्गत पृथक से आवेदन भारत सरकार के पोर्टल पर प्रस्तुत किये जाने होते है जिनमें पात्र पाये जाने पर ए.आई.एफ. के भी लाभ प्राप्त होते है।
11. कस्टम हायरिंग योजनांतर्गत कृषि, कृषि अभियांत्रिकी एवं कृषि उद्यानिकी स्नातकों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। प्राथमिकता सूची में इन आवेदकों के प्रकरणों पर निर्धारित सीमा जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों के **30 प्रतिशत अधिकतम 02 केन्द्र** तक प्राथमिकता दी जाकर विचार किया जायेगा।
12. एक ग्राम में एक ही कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जायेगा। पूर्व के ग्राम जिसमें कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जा चुका है, उन ग्रामों में पुनः केन्द्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा। पूर्व के केन्द्रों व ग्रामों की जानकारी क्षेत्र से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
13. एक परिवार को एक से अधिक कस्टम हायरिंग केन्द्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
14. व्यक्तिगत आवेदक की स्थिति में जिस ग्राम में केन्द्र स्थापित किया जाना है आवेदक को उस ग्राम का मतदाता होना अथवा उस ग्राम में स्वयं या माता पिता के नाम से भूमि होने पर ही संबंधित ग्राम में केन्द्र के आवेदन हेतु पात्रता होगी।
14. आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करना चाहता है, उसी जिले से आवेदन करना अनिवार्य होगा।
15. आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करना चाहता है उसी जिले के किसी बैंक शाखा से ही अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा। अन्य जिले में प्रकरण स्वीकृति हेतु नहीं भेजा जावेगा।

16. क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy) की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। ऋण राशि अदा करने में असफल होने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा बैंक की ऋण राशि, जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा, वापस चुकानी होगी।

17. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋणस्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।

18. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरूप से लौटाया नही जा सकेगा। इस अवधि के पूर्व हितग्राही द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से चुकाने पर हितग्राही को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन को वापस की जाना होगी।

19. योजना के तहत क्रय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को हितग्राही द्वारा ऋण अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नही किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन के नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू–राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी।

20. हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी। मशीनों/यंत्रों के रख–रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक/हितग्राही को स्वयं करनी होगी।

21. एक इकाई में रखी जाने वाली आव यक सामग्री निम्नानुसार होगी :–

अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्र–

1. एक ट्रैक्टर
2. एक प्लाऊ
3. एक रोटावेटर
4. एक कल्टीवेटर अथवा एक डिस्क हेरो
5. एक सीड कम फर्टिलाईज़र ड्रिल अथवा जीरो टिल सीड कम फर्टि. ड्रिल
6. एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रॉ रीपर
7. एक रेज्ड बेड प्लांटर अथवा राईस ट्रांसप्लांटर

प्रोजेक्ट की लागत सीमा अंतर्गत यदि आवदेक चाहे तो स्थानीय तथा फसल की आवश्यकताओं को देखकर परिशिष्ट–2 में दी गई ऐच्छिक यंत्रों की सूची में से यंत्रों का क्रय भी कर सकेगा।

प्रोजेक्ट अंतर्गत यंत्रों का क्रय संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत निर्माताओं के पोर्टल पर उनके पंजीकृत अधिकृत विक्रेताओं तथा सामग्री से किया जा सकेगा। क्रय किये जा रहे कृषि यंत्रों को पोर्टल पर दर्शायी दरों से अधिक दर पर क्रय नहीं किया जा सकेगा। राज्य स्तरीय पंजीयन समिति में पंजीकृत निर्माताओं की सूची तथा अन्य विवरण कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की वेबसाईट **www.dbt.mpdage.org** पर उपलब्ध है।

22. कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा केवल कृषि संबंधित कार्य ही किये जा सकेंगे। वर्षाकाल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते हैं तब अकृषि कार्य भी किया जा सकेगा।

23. भारत सरकार द्वारा कृषकों को ऑनलाईन कृषि यंत्र किराये से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृश्टि से "FARMS" app प्रारंभ किया गया है। अनुदान प्राप्त सभी हितग्राहियों को अपना पंजीयन भारत सरकार के "FARMS" app पर करवाना अनिवार्य होगा।

24. कस्टम हायरिंग केन्द्र अंतर्गत प्रदाय की गई मशीनों/उपकरणों/कृषि यंत्रों को सही हालत में आवेदक द्वारा रखा जाना होगा तथा किये गये कार्यो का विवरण कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा एक पंजी में संधारित करके रखा जाना होगा।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

वर्ष 2021–22 हेतु कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के जिलेवार लक्ष्य

कमांक	जिला	सामान्य	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	योग
1	भोपाल	6	1	1	8
2	सिहोर	6	1	1	8
3	रायसेन	6	1	1	8
4	विदिशा	6	1	1	8
5	राजगढ़	6	1	1	8
6	होशंगाबाद	6	1	1	8
7	हरदा	6	1	1	8
8	बैतूल	6	1	1	8
9	उज्जैन	6	1	1	8
10	मंदसौर	6	1	1	8
11	रतलाम	6	1	1	8
12	देवास	6	1	1	8
13	शाजापुर	6	1	1	8
14	आगर	6	1	1	8
15	नीमच	6	1	1	8
16	इंदौर	6	1	1	8
17	धार	6	1	1	8
18	झाबुआ	6	1	1	8
19	खरगौन	6	1	1	8
20	बड़वानी	6	1	1	8
21	खण्डवा	6	1	1	8
22	बुरहानपुर	6	1	1	8
23	अलीराजपुर	6	1	1	8
24	ग्वालियर	6	1	1	8
25	शिवपुरी	6	1	1	8
26	गुना	6	1	1	8
27	अशोकनगर	6	1	1	8
28	दतिया	6	1	1	8
29	मुरैना	6	1	1	8
30	श्योपुर	6	1	1	8
31	भिण्ड	6	1	1	8
32	सागर	6	1	1	8

कमांक	जिला	सामान्य	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	योग
33	दमोह	6	1	1	8
34	पन्ना	6	1	1	8
35	टीकमगढ़	6	1	1	8
36	निवाडी	6	1	1	8
37	छतरपुर	6	1	1	8
38	जबलपुर	6	1	1	8
39	कटनी	6	1	1	8
40	बालाघाट	6	1	1	8
41	छिंदवाडा	6	1	1	8
42	सिवनी	6	1	1	8
43	मण्डला	6	1	1	8
44	नरसिंहपुर	6	1	1	8
45	डिण्डोरी	6	1	1	8
46	रीवा	6	1	1	8
47	सीधी	6	1	1	8
48	सतना	6	1	1	8
49	सिंगरौली	6	1	1	8
50	शहडोल	6	1	1	8
51	अनुपपुर	6	1	1	8
52	उमरिया	6	1	1	8
	योग	**312**	**52**	**52**	**416**

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

ऐच्छिक रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्रो/मशीनों की सूची

क.	मशीन/स्वचलित कृषि यंत्र
1	रेज्ड बेड प्लान्टर
2	जीरो टिलेज सीड ड्रिल
3	गार्लिक प्लान्टर
4	वेजीटेबल प्लान्टर
5	पोटेटो प्लान्टर
6	शुगरकेन कटर–प्लान्टर
7	मल्टीक्राप प्लान्टर
8	ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर
9	कॉटन पीकर
10	ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर
11	पावर स्प्रेयर
12	ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर
13	लेजर लेण्ड लेवलर
14	स्ट्रारीपर
15	सीड ग्रेडर
16	पावरटिलर
17	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर
18	रीपर कम बाइन्डर
19	राईस ट्रांसप्लान्टर
20	पावर वीडर
21	पोटेटो डिगर
22	मेज शेलर (पावर ऑपरेटेड)
23	एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेशर
24	हैप्पी सीडर
25	रोटरी प्लाउ
26	डोजिंग अटैचमेंट

नोट :– ऐच्छिक यंत्रो की सूची केवल उदाहरण स्वरूप है। आवश्यकतानुसार अन्य यंत्र भी चयनित किये जा सकते है।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

अभिलेखों के सत्यापन हेतु जिलेवार निर्धारित तिथियाँ

क्रं.	संभाग	निर्धारित तिथि	जिलों का नाम
1	भोपाल संभाग	31.07.2021	भोपाल एवं राजगढ़
		02.08.2021	विदिशा एवं रायसेन
		03.08.2021	होशंगाबाद एवं हरदा
		04.08.2021	बैतूल एवं सीहोर
2	इन्दौर	31.07.2021	इंदौर ,झाबुआ, अलीराजपुर एवं धार
		02.08.2021	खरगौन, बड़वानी, खण्डवा एवं बुरहानपुर
		03.08.2021	देवास, शाजापुर एवं आगर–मालवा
		04.08.2021	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर एवं नीमच
3	ग्वालियर	31.07.2021	ग्वालियर एवं दतिया,
		02.08.2021	भिण्ड एवं मुरैना
		03.08.2021	श्योपुर एवं शिवपुरी
		04.08.2021	अशोकनगर एवं गुना
4	सागर	31.07.2021	सागर एवं दमोह
		02.08.2021	टीकमगढ़ एवं निबाड़ी
		03.08.2021	छतरपुर
		04.08.2021	पन्ना
5	जबलपुर	31.07.2021	जबलपुर एवं कटनी
		02.08.2021	छिन्दवाड़ा एवं सिवनी
		03.08.2021	मण्डला एवं नरसिंहपुर
		04.08.2021	बालाघाट एवं डिण्डोरी
6	रीवा–शहडोल संभाग	31.07.2021	रीवा एवं सतना
		02.08.2021	सीधी एवं सिंगरौली
		03.08.2021	शहडोल एवं अनूपपुर
		04.08.2021	उमरिया

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल